

प्रपत्र-2.2

Part-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक, द्वारा भरा जाना)

Proposal N0 FP/UK/ ROAD/ 38079/2019

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है० वन भूमि का पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

1	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ, दिनांक 14.07.2019 को पी०एम०जी० एस०वाई० लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के कनिष्ठ अभियन्ता एवं अमीन तथा वन क्षेत्राधिकारी व ग्रामीण जन प्रतिनिधियों के साथ निर्माण किये जाने वाले मोटर मार्ग के समरेखण में स्थित वृक्षों का निरीक्षण किया गया है। क्षेत्रीय जनता की मांग व क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मोटर मार्ग का निर्माण जनहित में आवश्यक है।
2	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक, भाग -ख में दी गई सूचना एवं उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत, परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रजाति के कुल 223 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें बॉज प्रजाति के 190 वृक्ष भी प्रभावित होंगे।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	जनहित में संस्तुति की जाती है।

दिनांक-14.07.2019

स्थान- गोपेश्वर।

हस्ताक्षर

नाम— एन०एन०प्राण्डेय
वन संरक्षक
गढ़वाल वन, उत्तराखण्ड
सीमौड़ी